मामले में हो रहा है।अन्यथा भी, यदि अनाज पंचायत के प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत के खिलाफ दायर मुकदमे का बचाव करने में उचित रुचि नहीं ली, तो ग्राम पंचायत को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।प्रक्रिया के नियम केवल न्याय के हाथ से बनाए गए हैं।प्रक्रिया की वेदी पर, मूल न्याय का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. में उपयोग किए गए "पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या जो निम्नानुसार है:—"किसी भी मामले में जिसमें किसी प्रतिवादी के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, वह उस अदालत में आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, उसे दरकिनार करने के आदेश के लिए; और यदि वह अदालत को संतुष्ट करता है कि समन की विधिवत तामील नहीं की गई थी, या जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, तो अदालत उसके खिलाफ डिक्री को ऐसी शर्तों पर दरकिनार करते हुए एक आदेश देगी जो खर्च, अदालत में भुगतान या अन्यथा जैसी वह उचित समझती है, और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए एक दिन निर्धारित करेगी।" उदार होना चाहिए।यदि प्रतिवादी एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए कुछ कारण देता है जो गलत या तुच्छ नहीं लगता है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में कोई देरी नहीं हुई।यदि न्याय के हित में कोई देरी हुई थी, तो उसे सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ कर दिया जाना चाहिए। यह दोहराया जाएगा कि ग्राम पंचायत को केवल इसलिए नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उसके प्रतिनिधि या उसके वकील की ओर से लापरवाही की गई थी।

(11) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, एक्सपार्टे डिक्री को अलग कर दिया जाता है और साथ ही उन कार्यवाहियों को भी जो रुपये के भुगतान पर एक-पक्षीय डिक्री में समाप्त होती हैं। 3000 लागत के रूप में।

तदनुसार पुनरीक्षण की अनुमति है।

एस. के.

एम. एल. सिंघल के समक्ष, जे.

खज़ानी -एप्पलेंट/वादी

बनाम

राम किशन,-प्रतिवादी

1988 की आर. एस. ए. सं. 427

29सितंबर, 2000

पंजाब प्रथा (प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति) अधिनियम, 1920-सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908*-पारिवारिक समझौते के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में मिलीजुली डिक्री-प्रतिवादी का कोई पूर्ववृत्त, स्वामित्व, दावा या हित नहीं है, यहां तक कि संपत्ति में कोई संभावित दावा या अधिकार भी नहीं है-इस तरह के डिक्री के पंजीकरण के बिना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है-वादी को अपने पिता की एकमात्र संतान होने के नाते वैध अधिकार है-पारिवारिक निपटान वास्तविक होना चाहिए-वादी अपनी पिता की पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है।

-वादी के मुकदमे का आदेश देते समय नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है।

अभिनिर्णित- माना जाता है कि पारिवारिक समझौता प्रामाणिक होना चाहिए ताकि पारिवारिक विवाद और प्रतिद्वंद्वी दावों को हल किया जा सके।पारिवारिक समझौते को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है और न ही प्रतिवादी और वादी के पिता के बीच इस संपत्ति को लेकर कोई विवाद कहा जा सकता है, जिसे हल करने की आवश्यकता थी।वादी के पिता की संपत्ति में, प्रतिवादी का कोई पूर्व अधिकार नहीं था।जबकि पारिवारिक व्यवस्था उन व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिनके पास कुछ पूर्ववर्ती अधिकार, दावा या हित है, यहां तक कि एक संभावित दावा या अधिकार भी है।5 फरवरी, 1975 के फरमान के कारण प्रतिवादी पहली बार संपत्ति का मालिक बना।5 फरवरी, 1975 के फरमान में पंजीकरण की आवश्यकता थी।बिना पंजीकरण के इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।पहली बार संपत्ति में अधिकार या अधिकार बनाने के लिए आवश्यक पंजीकरण।यह वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में एक मिलीजुली डिक्री थी जब उनके बीच कोई विवाद नहीं था और विवाद का रंग वादी को इस संपत्ति को देखने के उसके वैध अधिकार से वंचित करने की दृष्टि से दिया गया था क्योंकि वह उसके पिता की एकमात्र संतान थी।इस प्रकार, वादी अपने एकमात्र बच्चे के रूप में अपने पिता की पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है।

(पैरा 12)

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908*-एस. *11*-रेस जुडिकाटा-अपने पिता और प्रतिवादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने वाली वादी-ट्रायल कोर्ट ने लोकस स्टैंडी के आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया-वादी के पिता द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे में भी गुण-दोष पर निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई-वादी ने नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस ले लिया-क्या वादी द्वारा दायर एक नया मुकदमा रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित है-आयोजित, नहीं।

अभिनिर्धारित किया कि न्यायनिर्णायक की प्रयोज्यता का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं वादी द्वारा दायर वाद को इस दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया था कि उसे अपने पिता द्वारा तैयार किए गए पारिवारिक समझौते और उसके परिणामस्वरूप उसके पिता के जीवनकाल के दौरान दिए गए आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।आई. एफ. एफ. के पिता द्वारा दायर वाद का निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि वाद के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।सवाल उठा कि सूट किसे पहनना चाहिए।मुक़दमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।उस मुकदमे को वापस लेने के बाद वादी ने यह मुकदमा दायर किया।अपने पिता की मृत्यु के बाद, वादी के पास दो विकल्प थे या तो वह अपने पिता द्वारा दायर मुकदमे को अपने जीवनकाल के दौरान जारी रखे या वह अपने अधिकार में नया मुकदमा दायर कर सकती थी।अपने पिता की मृत्यु के बाद वादी द्वारा अपने स्वयं के अधिकार में इस मुकदमे को दायर करने पर न्यायपालिका द्वारा रोक नहीं है।

(पैरा 9)

एस. के. बंसल, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से

एच. एस. हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में आर. के. अरोड़ा, अधिवक्ता -प्रतिवादी के लिए

निर्णय

एम. एल. सिंघल जे.

(1) श्रीमती. खज़ानी रामजी लाल के बेटे रूप चंद की बेटी है, वादपत्र के शीर्षक में

विस्तृत भूमि का रूप चंद 1/2 हिस्से का मालिक था। रूप चंद ने 5 फरवरी, 1975 के फैसले और डिक्री के माध्यम से प्रीत सिंह के बेटे राम किशन के पक्ष में भूमि की।श्रीमती. खज़ानी ने 6 दिसम्बर, 1974 की वसीयत के आधार पर, जो उसके पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई थी या वैकल्पिक रूप से उक्त रूप चंद की पुत्री के रूप में उक्त भूमि के आधा हिस्से के कब्जे के लिए एक मुकदमा सिविल वाद 1982 का सं. 79 शीर्षक श्रीमती खज़ानी बनाम राम किशन दायर किया।उन्होंने प्रतिवादी राम किशन के पक्ष में रूप चंद द्वारा भुगती गई 5 फरवरी, 1975 के फैसले और डिक्री को चुनौती दी, जिसका उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि डिक्री का विषय-वस्तु 100 रुपये से अधिक का था जिसे 1955 के बाद एक डिक्री द्वारा भी मौखिक रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता था और ऐसा हस्तांतरण केवल एक पंजीकृत साधन द्वारा किया जा सकता था।इससे पहले, रूप चंद ने इस आशय की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया था कि 5 फरवरी, 1975 का "राम किशन बनाम रूप चंद" शीर्षक वाला निर्णय और डिक्री अवैध थी और उनके (रूप चंद के) अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं थी। उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, 15 अगस्त, 1981 को रूप चंद की मृत्यु हो गई और वादी को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में छोड़ दिया गया और उस मुकदमे को उनके (खज़ानी), जो तत्कालीन वादी मृतक रूप चंद के कानूनी प्रतिनिधि थे, द्वारा अदालत की अनुमति से नए सिरे से मुकदमा दायर करने के लिए वापस ले लिया गया। "एलआर" का प्रश्न खुला रखा गया था। वादपत्र में यह अभिकथित किया गया है कि वादी रूप चंद मृतक का एल. आर. है और रूप चंद की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमे में भूमि के उत्तराधिकारी होने का हकदार है और रूप चंद ने 6 दिसंबर, 1974 की वैध वसीयत को भी उनके पक्ष में निष्पादित किया था ।राम किशन ने अदालत के साथ-साथ रूप चंद के साथ धोखाधड़ी करके 5 फरवरी, 1975 को निर्णय और डिक्री प्राप्त की।राम किशन ने रूप चंद से कहा कि वह उसकी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे और उनसे राम किशन के पक्ष में सामान्य मुख्तारनामा निष्पादित करने के लिए कहा।5 फरवरी, 1975 का निर्णय और डिक्री अवैध, अमान्य, आरंभतः शून्य और रूप चंद की बेटी होने के नाते उनके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।5 फरवरी, 1975 के निर्णय और डिक्री के आधार पर राम किशन ने 30 नवंबर, 1976 को इंतक़ाल संख्या 2555 दर्ज कराई। रूप चंद कभी भी उत्परिवर्तन अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। यह इंतक़ाल रूप चंद के साथ धोखाधड़ी करके दर्ज किया गया था। इंतक़ाल संख्या 2555 उन पर बाध्यकारी नहीं है और राम किशन का विवादित भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है।

(2) प्रतिवादी राम किशन ने वादी के मुकदमे का विरोध करते हुए आग्रह किया कि 5 फरवरी, 1975 के फैसले और डिक्री को रूप चंद ने राम किशन के पक्ष में वैध रूप से सहन किया था।रूप चंद ने पारिवारिक समझौता कराया। उसी पारिवारिक समझौता में यह भूमि राम किशन दि गई थी। श्रीमती. खज़ानी को हिंदू कानून या प्रथागत कानून के तहत यह मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब प्रथा (प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के तहत, एक महिला को एक पुरुष द्वारा प्रभावित अलगाव का प्रतिवाद करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।वादी न तो सहदायिक था और न ही प्रत्यावर्तक, इस प्रकार मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है।वादी के पास यह मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।उसने पहले उसी वादकरण पर मुकदमा दायर किया था जिसमें वह विफल रही थी।राम किशन रूप चंद के लिए अजनबी नहीं हैं। वह उसके सगा भाई कन्हैया का पोता हैं।रूप चंद और कन्हैया रामजी लाई के पुत्र थे। राम किशन कन्हैया के पुत्र प्रीत सिंह के पुत्र हैं।पारिवारिक समझौते में रूप चंद द्वारा उनके पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के बाद से राम किशन विवादित जमीन के मालिक हैं, जिसे उस फैसले और डिक्री में अभिज्ञात किया गया था। वादी का मुकदमा समय द्वारा वर्जित है क्योंकि 5 फरवरी, 1975 की डिक्री को लंबे समय के बाद चुनौती दी गई है। रूप चंद ने कभी भी श्रीमती खज़ानी के पक्ष

में कोई वसीयत नहीं की थी। यदि कोई वसीयत है, तो वह झूठी है और गलत निरूपण का परिणाम है।यदि कोई वसीयत थी, तो पारिवारिक समझौते के कारण वह निष्फल हो गई।वादी का मुकदमा प्राङ न्याय के नियम द्वारा वर्जित है।रूप चंद ने उस आदेश को चुनौती देते हुए राम किशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसे 3 नवंबर, 1981 को बिना रूप चंद एल. आर./उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए श्रीमती खज़ानी द्वारा वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। श्रीमती खज़ानी के कहने पर मुकदमा उनके पिता द्वारा दायर किया गया था।

(3) पक्षकारों की दलीलों पर, निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:—

1. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?ओपीडी।

1-क. विवादित डिक्री को पंजीकृत नहीं कराने का क्या प्रभाव पड़ता है?ओपीपी।

1-ख. क्या श्री रूप चंद ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की?ओपीपी।

1-ग. क्या प्रतिवादी के पक्ष में 5 फरवरी, 1975 का विवादित निर्णय और डिक्री अवैध, अमान्य, आरंभतः शून्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है जैसा कि वाद में अभिकथित किया गया है ?ओपीपी।

2. क्या वादी को हिंदू कानून के साथ-साथ प्रथागत कानून के तहत वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?ओपीडी।

3. क्या वादी को मृतक रूप चंद द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है?ओपीडी।

4. क्या मुक़दमा समय द्वारा वर्जित है?ओपीडी

5. क्या वादी को सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत वर्तमान मुकदमा दायर करने से विबंधित किया जाता है?ओपीडी।

6. राहत मिलती है।

(4) अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित 12 मार्च, 1987 के आदेश के माध्यम से वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था, उनके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि रूप चंद ने राम किशन के पक्ष में 5 फरवरी, 1975 को वैध रूप से निर्णय और डिक्री का सामना किया था।1973 में रूप चंद ने राम किशन के पक्ष में पारिवारिक समझौता किया था।उस समझौते के अनुसरण में, कब्जा राम किशन को सौंप दिया गया था और वह मालिक के रूप में वर्ष 1973 से कब्जे में था।वर्ष 1973 में उनके और राम किशन के बीच पारिवारिक समझौते के आधार पर डिक्री पारित होने से पहले राम किशन को मुकदमे की संपत्ति में रहने का अधिकार था, इसलिए डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी।यह भी पाया गया कि उस आदेश की परिणति में रूप चंद पर राम किशन द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत निरूपण नहीं किया गया था।रूप चंद ने अपनी ओर से अधिवक्ता श्री चंद राम को नियुक्त किया था और उन्होंने 1975 के वाद संख्या 29 में दायर लिखित बयान को अंगूठे से चिह्नित किया था और अदालत के समक्ष बयान जिसमे राम किशन के दावे को स्वीकार किया गया था, अधिवक्ता श्री चंद राम की उपस्थिति में उनके द्वारा अंगूठे से चिह्नित किया गया था। यह पाया गया कि श्रीमती खज़ानी ने उस निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए रूप चंद के जीवनकाल के दौरान घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने राम किशन और रूप चंद को शामिल किया था।उस मुकदमे में उन्होंने अभिकथित किया कि 5 फरवरी, 1975 का निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी का परिणाम था।उस मुकदमे में, राम किशन और रूप चंद ने धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए संयुक्त लिखित बयान दायर किया, जिसमें

पारिवारिक समझौते की वैधता का दावा किया गया था, जिसके आधार पर 5 फरवरी 1975 का निर्णयपारित किया गया था।यह पाया गया कि यदि रूप चंद पर धोखाधड़ी से डिक्री प्राप्त की गई होती, तो रूप चंद और राम किशन ने धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए और पारिवारिक समझौते की वैधता और परिणामी निर्णय और डिक्री पर जोर देते हुए संयुक्त लिखित बयान दायर नहीं किया होता।

(5) वसीयत को रूप चंद द्वारा श्रीमती खज़ानी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। यह पाया गया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहाँ तक 5 फरवरी, 1975 के निर्णय और डिक्री का संबंध है, जब रूप चंद की मृत्यु हो गई, 5 फरवरी, 1975 के फैसले और डिक्री की विषय वस्तु उस वसीयत के आधार पर या प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर खज़ानी पर हस्तांतरण के लिए उपलब्ध नहीं थी; वह पहले से ही पारिवारिक समझौते के मद्देनजर अपने जीवनकाल के दौरान इससे निपट चुके थे।वादी के मुकदमे को समय के साथ वर्जित पाया गया क्योंकि आदेश की वैधता को रूप चंद द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने तीन साल की सीमा अवधि के भीतर इसे चुनौती नहीं दी और यह मुकदमा जो उनके पिता द्वारा दायर पिछले मुकदमे की निरंतरता में दायर किया गया था समय द्वारा वर्जित है। वादी के पास डिक्री को चुनौती देने और रूप चंद के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते विरासत का दावा करने का अधिकार पाया गया।

(6) वादी ने अपील की, जिसे अतिरिक्त जिला , करनाल ने 28 अक्टूबर, *1987* के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

(7) फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, श्रीमती खज़ानी इस अदालत में अपील में आगे आए हैं।

(8) मैंने पक्षकारों के वकील को सुना है और रिकॉर्ड देखा है।

(9) शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक रामजी लाल थे, जिनके रूप चंद और कन्हैया नाम के दो बेटे थे।रूप चंद की एक बेटी थी जिसका नाम श्रीमती खज़ानी था। कन्हैया के बेटे थे जिनके नाम प्रीत सिंह आदि था। राम किशन प्रीत सिंह के पुत्र हैं। इस प्रकार राम किशन कन्हैया के सगे भाई के पोते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि रूप चंद का कोई पुत्र नहीं था। राम किशन ने रूप चंद के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए कि वह 161 कनाल 16 मरला की कृषि भूमि के आधा हिस्से का मालिक हैं 1975 का मुकदमा संख्या 29 दायर किया जिसका निर्णय रूप चंद द्वारा दायर लिखित बयान और अदालत के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर किया गया था। रूप चंद ने एक श्री चंद राम अधिवक्ता की नियुक्ति की थी।उन्होंने कहा कि रूप चंद ने उस मुकदमे में लिखित बयान दायर किया था, जो उसके द्वारा विधिवत चिह्नित अंगूठा था।उन्होंने अदालत के समक्ष बयान दिया, जिसे उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा विधिवत रूप से चिह्नित किया गया था।उस मुकदमे की वादपत्र में, राम किशन ने अभिकथित किया था कि रूप चंद कन्हैया का सगा भाई था, जो उसके दादा और रूप चंद के भाई थे। रूप चंद को उनके लिए बहुत प्यार और स्नेह था, और उसी प्यार और स्नेह के परिणामस्वरूप, उन्होंने 31 दिसंबर 1973 को उसके पक्ष में पारिवारिक समझौता किया, जिसमें उसके पक्ष में 161 कनाल 16 मरला जमीन का 1/2 हिस्सा दे दि गई और उसे उसका अधिकार सौंप दिया था। उसने आगे अभिकथित किया था कि उस दिन से, वह मालिक के रूप में भूमि के कब्जे में था।लिखित बयान में, रूप चंद ने स्वीकार किया था कि वादपत्र में जो कुछ भी कहा गया था वह सही था। अदालत ने वादी राम किशन के मुकदमे का फैसला सुनाया रूप चंद द्वारा उनके वकील श्री चंद राम द्वारा समर्थित लिखित में की गई स्वीकारोक्ति और राम किशन के दावे को सही स्वीकार करते हुए अदालत के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयान, जिसे उनके वकील श्री चंद राम द्वारा फिर से समर्थित कर दिया गया था को ध्यान में रखते हुए दिया

था।

इस प्रकार राम किशन द्वारा रूप चंद के साथ कोई धोखाधड़ी या गलत निरूपण नहीं किया गया था।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रूप चंद की किसी भी संपत्ति का प्रबंधन राम किशन द्वारा किया जाना था और राम किशन ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपनी संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुख्तारनामा निष्पादित करना चाहिए और वह अपने पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित करना चाहते थे ताकि वह इस डिक्री को अपने पक्ष में कर सकें। 5 फरवरी, 1975 के निर्णय और डिक्री को श्रीमती खज़ानी वादी द्वारा रूप चंद के जीवन काल के दौरान चुनौती दी गई थी जिसमें उसने धोखाधड़ी के आधार पर रूप चंद और राम किशन को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।राम किशन और रूप चंद ने धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए संयुक्त लिखित बयान दायर किया और पारिवारिक समझौते की वैधता और 5 फरवरी, 1975 के परिणामी डिक्री पर जोर दिया।यदि रूप चंद पीड़ित होता, तो वह राम किशन के साथ संयुक्त लिखित बयान दायर नहीं करता और पारिवारिक समझौते और परिणामी आदेश का बचाव न करता।रूप चंद के जीवनकाल के दौरान, श्रीमती. खज़ानी को पारिवारिक समझौते और उसके परिणामस्वरूप आने वाले निर्णय और डिक्री को धोखाधड़ी के आधार पर चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि रूप चंद ही था जो धोखाधड़ी के आधार पर पारिवारिक समझौते और उसके परिणामस्वरूप आने वाले आदेश को चुनौती दे सकता था।रूप चंद के जीवनकाल के दौरान, उनके पास हिंदू कानून के तहत या प्रथागत कानून के तहत पारिवारिक समझौते और परिणामी डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। पंजाब प्रथा (प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी अधिकार धारक द्वारा की गई पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव का विरोध करने का हकदार नहीं था, जब तक कि वह सामान्य पूर्वज से वंश के पांच डिग्री के भीतर आने वाला पुरुष प्रत्यावर्तक न हो। हिंदू कानून के तहत, केवल एक सहदायिक ही संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता द्वारा प्रभावित अलगाव को चुनौती दे सकता है।एक महिला सहदायिक नहीं होती। हिंदू कानून में, केवल पुरुष ही सहदायिक होते हैं। श्रीमती. खज़ानी इस प्रकार रूप चंद की मृत्यु के बाद पारिवारिक समझौते और परिणामी डिक्री को चुनौती दे सकती थी और वह भी अगर रूप चंद ने अपने जीवनकाल के दौरान उक्त पारिवारिक समझौते और परिणामी डिक्री को चुनौती नहीं दी थी। इस मामले में, रूप चंद ने 4 जून, 1979 का दीवानी मुकदमा संख्या 235, जिसका शीर्षक रूप चंद बनाम राम किशन था इस आशय की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया था कि 1975 का मुकदमा संख्या 29 में प्रतिवादी राम किशन के पक्ष में पारित डिक्री अवैध, अमान्य और अप्रभावी थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी राम किशन को मुकदमे की संपत्ति पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा की राहत दि जाए। इस सूट के लंबित रहने के दौरान रूप चंद की मृत्यु हो गई।उनकी बेटी श्रीमती खज़ानी ने उनके एल. आर. के रूप में रिकॉर्ड में आने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन में उन्होंने कहा था कि रूप चंद की मृत्यु

15 अगस्त, 1981 हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद, वह उनकी बेटी के रूप में उनकी एकमात्र एल. आर. हैं। वादपत्र के पैरा 4 में, श्रीमती. खज़ानी ने प्रतिवाद किया है कि उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, 15 अगस्त 1981 को रूप चंद की मृत्यु हो गई और वादी को अपना एल. आर. के रूप में छोड़ दिया गया और उस मुकदमे को आवेदक श्रीमती खज़ानी, जो उस समय मृतक रूप चंद की एल. आर. थी, द्वारा एक नया मुकदमा दायर करने की से नीयत अदालत की अनुमति से वापस ले लिया गया था। एल. आर. का सवाल खुला रखा गया था। इस पैरा के लिए, उत्तर यह है कि वाद के पैरा 4 को रूप चंद की मृत्यु और वादी द्वारा कथित वाद को वापस लेने के संबंध में स्वीकार किया गया है, लेकिन यह सही नहीं है कि वादी ने मृतक का एलआर होने के नाते वाद को वापस ले लिया है, इसलिए वाद खारिज होने योग्य है। इस मामले में, प्राङ न्याय के सिद्धांत लागू होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है क्योंकि श्रीमती खज़ानी द्वारा स्वयं 1976 का दीवानी मुकदमा संख्या 529, जिसका शीर्षक श्रीमती खज़ानी बनाम रूप चंद और राम किशन था, इस दृष्टिकोण पर खारिज कर दिया गया था कि श्रीमती खज़ानी को अपने पिता द्वारा तैयार किए गए पारिवारिक समझौते और अपने पिता के जीवनकाल के दौरान परिणामी डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। रूप चंद द्वारा दायर मुकदमे का फैसला गुणागुण के आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि मुकदमा लंबित रहने के दौरान रूप चंद की मृत्यु हो गई थी।सवाल उठा कि मुक़दमा कौन जारी रखेगा। मुक़दमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।उस मुकदमे को वापस लेने के बाद श्रीमती खज़ानी ने यह मुकदमा दायर किया।रूप चंद का निधन 5 अगस्त, 1981 को हुआ था।उनकी मृत्यु के बाद, श्रीमती खज़ानी के पास दो विकल्प थे या तो अपने पिता द्वारा उनके जीवनकाल के दौरान दायर मुकदमे को जारी रखें या वह अपने अधिकार में नया मुकदमा दायर कर सकती हैं। श्रीमती द्वारा इस मुकदमे को दायर करना। श्रीमती खज़ानी द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने स्वयं के अधिकार में यह मुकदमा दायर करने पर प्राङ न्याय के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।यह सीमा कानून द्वारा वर्जित नहीं है।रूप चंद की विरासत 15 अगस्त, 1981 को खोली गई, जब उनकी मृत्यु हो गई और यह मुकदमा वर्ष 1982 में दायर किया गया था, जो सीमा के भीतर है।रूप चंद की मृत्यु से पहले, श्रीमती. खज़ानी को पारिवारिक समझौते और उसके परिणामस्वरूप निर्णय और डिक्री पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रूप चंद किसी धोखाधड़ी या गलत निरूपण का शिकार हुआ था, क्योंकि यह आदेश धोखाधड़ी और गलत निरूपण के आधार पर चुनौती से परे है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी कि राम किशन और रूप चंद के बीच रूप चंद की संपत्ति से संबंधित कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता है क्योंकि राम किशन और रूप चंद सहदायिक नहीं थे। राम कृष्ण रूप चंद के भाई कन्हैय्या के पोते थे।रूप चंद का कोई बेटा नहीं था। इस प्रकार, वह संपत्ति का एकमात्र मालिक था।अगर उनके पास एक बेटा, बेटे का बेटा या बेटे के बेटे का बेटा होता तो उनके हाथों की संपत्ति को सह-आंशिक संपत्ति के रूप में देखा जा सकता था। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि राम किशन और रूप चंद एक परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता था। यदि उनके बीच कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता था, तो रूप चंद के हाथों में संपत्ति में राम किशन का कोई पूर्व स्वामित्व नहीं था। यदि राम किशन के हाथों में संपत्ति में राम किशन का पूर्व स्वामित्व नहीं होता, तो कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता था। संपत्ति के संबंध में, जिसमें किसी का पूर्व स्वामित्व है, पारिवारिक समझौता हो सकता है और इस तरह के पारिवारिक समझौता के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि 5 फरवरी, 1975 का डिक्री पंजीकरण के अभाव में राम किशन को संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं दिए जा सकते है। । ऐसे डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर और अन्य[1], 11 सितंबर, 1995 को तय की गई 1995 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17474 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) में केवल उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) द्वारा कवर किए गए उपकरणों के लिए अपवाद शामिल हैं। खंड (vi) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश से संबंधित है, सिवाय किसी समझौते पर की गई डिक्री या आदेश के और जिसमें उस संपत्ति जो वाद या कार्यवाही का विषय है के अलावा अचल संपत्ति शामिल है। धारा 17 की उपधारा (1) यह अधिदेशित करती है कि खंड (क) से (ड) में प्रगणित लिखत को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा यदि वह संपत्ति जिससे वे संबंधित हैं, अचल संपत्ति है जिसका मूल्य रु 100 या उससे अधिक। धारा 17 (2) के खंड (vi) में उत्कीर्ण अपवाद किसी न्यायालय की उस डिक्री या आदेश को कवर करने के लिए है, जिसमें एक समझौते पर की जाने वाली डिक्री या आदेश शामिल है, जो पहले से मौजूद अधिकार की घोषणा करता है और अपने आप में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में नया अधिकार, स्वामित्व या हित पैदा नहीं करता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण से पंजीकरण से बचने का तरीका स्थापित होगा, जिसके लिए डिक्री या आदेश में अंतर्निहित स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यायालय को प्रत्येक मामले में इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पक्षकारों को अचल संपत्ति पर पहले से अधिकार है, या क्या न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत एक पक्षकार जिसका अधिकार, स्वामित्व या हित है, उसे समाप्त करने के लिए सहमत हुआ और उसने पहली बार समझौता करके या पूर्वानुमति का नाटक करके दूसरे पक्षकार के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित सृजित किया। यदि बाद वाला पद है, तो दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत है। भूप सिंह के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि "धारा 17 (2) के खंड (vi) के तहत कानूनी स्थिति को संक्षेप में नीचे दिया जा सकता है" :-

(1) समझौता डिक्री यदि प्रामाणिक है, इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने का साधन नहीं है, तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(2) यदि समझौता डिक्री पहली बार मुकदमे के किसी भी पक्ष के पक्ष में रुपये 100 या उससे अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित बनाने के लिए था। उस डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(3) यदि डिक्री धारा 17 की उप-धारा (I) के किसी भी खंड को आकर्षित नहीं करती है, तो यह स्पष्ट है कि डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) यदि डिक्री में समझौते की शर्तों को शामिल नहीं किया जाता है, तो समझौते की शर्तों से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही किसी मुकदमे का निपटान समझौते के कारण किया जाना हो।

(5) यदि डिक्री संपत्ति द्वारा निपटान कि गई संपत्ति "वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु" नहीं है तो उप-धारा (2) का खंड (vi) काम नहीं करेगा।"

(10) भूप सिंह के मामले में, भूप सिंह मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक थे, जिसमें से उक्त विशेष अनुमति याचिका उत्पन्न हुई थी।वादी एक नंद राम के उत्तराधिकारी थे, जो एक जीवन राम के पाँच बेटों में से एक हैं। याचिकाकर्ता भूप सिंह जीवन राम के एक अन्य पुत्र राखा राम की शाखा से ताल्लुक रखते हैं, गणपत नन्हा राम के पुत्र थे और फिर भी जीवन राम

[1] ए. आई. आर 1996 एस. सी 196

के एक अन्य पुत्र थे। भूप सिंह याचिकाकर्ता ने एक समय 1973 का मुकदमा संख्या 215 दायर किया था जिसका 6 अप्रैल, 1973 को निम्नलिखित रूप में निपटारा किया गया थाः

> "यह आदेश प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान ,जिसमें उसने वादी के दावे को सही स्वीकार किया है, को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ वादी के पक्ष में दिया जाता है कि वादपत्र के शीर्ष में पूरी तरह से विस्तृत विवादित भूमि के संबंध में एक घोषणात्मक डिक्री इस आशय का कि प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर वादी आज से मालिक काबिज होगा और वादी अपना नाम राजस्व दस्तावेजों में शामिल करने का हकदार है। प्लीडर का शुल्क 16 रुपये तय किया गया। आगे यह आदेश दिया जाता है कि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह आदेश प्रभावी नहीं था क्योंकि इसे पंजीकृत नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डिक्री पंजीकृत नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता भूप सिंह को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता था। .यह आगे आदेश दिया जाता है कि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।"

(11) यह प्रस्तुत किया गया था कि इस डिक्री का कोई प्रभाव नहीं था जब इसे पंजीकृत ही नहीं किया गया था और जब राम किशन रूप चंद के परिवार के सदस्य नहीं थे; वे उसके भाई कन्हैया के पोते थे।

(12) यह कहा गया कि रूप चंद की संपत्ति को लेकर राम किशन और रूप चंद के बीच कोई विवाद नहीं था क्योंकि रूप चंद अपने हिस्से में थे जबकि कन्हैया या उनकी शाखा अपने हिस्से में थी। पारिवारिक समझौते का उद्देश्य किसी विवाद को सुलझाना है। परदुमन सिंह और एक अन्य बनाम कर्तार सिंह[2] में ये निर्धारित किया गया कि "पारिवारिक व्यवस्था या पारिवारिक समझौता" शब्द का दायरा क्या हैं। ये हैं (i) समझौता या पारिवारिक व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि पक्षों में किसी प्रकार का पूर्ववर्ती शीर्षक है; (ii) समझौता स्वीकार करता है और परिभाषित करता है कि वह शीर्षक क्या है; (iii) प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति पर कुछ दावों को छोड़ देता है; (iv) दूसरे के अधिकार की मान्यता है; (v) संपत्ति में अपने अधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष से बचने के लिए पारिवारिक व्यवस्था की जाती है, और परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने की दृष्टि से; (vi) ऐसी व्यवस्था या तो वर्तमान विवादों या भविष्य के विवादों को ध्यान में संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच की जाती है और (vii) कि ऐसी पारिवारिक व्यवस्था प्रामाणिक होनी चाहिए और मामले की परिस्थितियों में इसकी शर्तें उचित होनी चाहिए।" यह प्रस्तुत किया गया था कि एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य, शांति बनाए रखने या परिवार में सद्भाव लाने के लिए, ऐसी पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं यदि ऐसी व्यवस्था प्रामाणिक रूप से की जाती है और किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में इसकी शर्तें उचित हैं। अदालतें इस तरह की व्यवस्था को टालने के बजाय अधिक आसानी से मंजूरी दे देंगी।" यह निवेदन मातुरी पुल्लैया और एक अन्य बनाम मातुरी नरसिम्हम और अन्य[3] के पैरा 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित था।यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में राम किशन और रूप चंद के बीच कोई विवाद नहीं था। रूप चंद 161 कनाल 16 मरला जमीन के अपने आधे हिस्से के भीतर थे, जबकि कन्हैय्या या उनकी शाखा दूसरे आधे हिस्से में थी। राम किशन ने संपत्ति में रूप चंद के हिस्से को हड़पने के उद्देश्य से पारिवारिक समझौता किया ताकि संपत्ति का उनका हिस्सा उनकी बेटी श्रीमती खज़ानी को न मिले। आखिरकार, पारिवारिक समझौते क्यों किए जाते हैं? काले और अन्य बनाम समेकन उप निदेशक और

---

[2] (1996-1) पीएलआर 772

[3] ए. आई. आर 1966 एस. सी 1836

अन्य[4] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "पारिवारिक समझौता एक प्रामाणिक होना चाहिए ताकि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्ति के निष्पक्ष और न्यायसंगत विभाजन या आवंटन द्वारा पारिवारिक विवादों और प्रतिद्वंद्वी दावों का समाधान किया जा सके। उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था मौखिक भी हो सकती है जिस स्थिति में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। पंजीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों को लिखित रूप दिया जाएगा। यहाँ भी, एक दस्तावेज में, जिसमें परिवारी व्यवस्था के शर्तों और प्रस्तावना दी गई हो, जो दस्तावेज के तहत बनाई गई हो, और रिकॉर्ड के उद्देश्य से या आवश्यक परिवर्तन करने के लिए न्यायालय की जानकारी के लिए पहले से ही परिवार की व्यवस्था के बाद तैयार किए गए केवल ज्ञापन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में ज्ञापन स्वयं अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार का निर्माण या उन्मूलन नहीं करता है और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। जो सदस्य पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं, उनके पास कुछ पूर्व स्वामित्व, दावा या हित होना चाहिए, यहां तक कि संपत्ति में एक संभावित दावा भी हो सकता है जिसे समझौते के पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहां तक कि अगर समझौते के पक्षों में से एक का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपने सभी दावों या अधिकारों को छोड़ देता है और उसे एकमात्र मालिक के रूप में स्वीकार करता है, तो पूर्ववर्ती स्वामित्व को ग्रहण किया जाना चाहिए और दृढ़ता से व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और अदालतों को इसे मंजूरी देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भले ही वास्तविक या संभावित विवाद, जिनमें कानूनी दावे शामिल नहीं हो सकते हैं, एक प्रामाणिक पारिवारिक व्यवस्था द्वारा निपटाए जाते हैं जो निष्पक्ष और न्यायसंगत है, पारिवारिक व्यवस्था अंतिम है और समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है। प्रामाणिक और विवाद शब्द पर जोर दिया जाता है। पारिवारिक समझौता प्रामाणिक होना चाहिए ताकि पारिवारिक विवाद और प्रतिद्वंद्वी दावों को हल किया जा सके।इस मामले में, पारिवारिक समझौते को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है और न ही राम किशन और रूप चंद के बीच इस संपत्ति को लेकर कोई विवाद कहा जा सकता है, जिसे हल करने की आवश्यकता थी। रूप चंद की संपत्ति में, राम किशन का कोई पूर्व अधिकार नहीं था। जबकि पारिवारिक समझौता उन व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिनके पास कुछ पूर्ववर्ती अधिकार, दावा या हित है, यहां तक कि एक संभावित दावा या अधिकार भी है।इस मामले में, राम किशन 5 फरवरी, 1975 की डिक्री के कारण पहली बार संपत्ति के मालिक बने। 5 फरवरी, 1975 की डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता थी। बिना पंजीकरण के इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहली बार संपत्ति में अधिकार या अधिकार बनाने का तात्पर्य रखने वाली डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता थी। यह रूप चंद द्वारा राम किशन के पक्ष में एक मिलीजुली डिक्री थी जब उनके बीच कोई विवाद नहीं था और विवाद का रंग श्रीमती खज़ानी को इस संपत्ति के अपने वैध अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से दिया गया था।

(13) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पारिवारिक व्यवस्था या पारिवारिक समझौता की परिकल्पना परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्ति के उचित और न्यायसंगत विभाजन या आवंटन द्वारा पारिवारिक विवाद और प्रतिद्वंद्वी दावों को हल करने की दृष्टि से की गई है। इस मामले में दोहराव की कीमत पर, यह कहा जाना चाहिए कि रूप चंद की संपत्ति को लेकर राम किशन और रूप चंद के बीच कोई विवाद नहीं था। रूप चंद ने इस संपत्ति को अपने पक्ष में मोड़ने और इस तरह श्रीमती खज़ानी को उनके वैध अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण तरीके से विवाद का रंग दिया था।

---

[4] ए. आई. आर 1976 एससी 807

दिनांक 5 फरवरी, 1975 की डिक्री एक नकली लेनदेन था जिसका उद्देश्य किसी भी विवाद को हल करना नहीं था।वास्तव में, विवाद की बात करें तो राम किशन और रूप चंद के बीच विवाद की कोई झलक भी नहीं थी।श्रीमती खज़ानी के पक्ष में वसीयत हो या न हो, श्रीमती खज़ानी अपने पिता की पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का हकदार है क्योंकि वह उसकी इकलौती संतान है।

(14) ऊपर कहे गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इसलिए स्वीकृत की जाती है। नीचे दी गई अदालतों के निर्णयों और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और वादी का वाद 161 k 16 m विवादित भूमि, जैसा कि वादपत्र के शीर्षक में विस्तृत है, के 1/2 हिस्से के कब्जे के लिए अभिनिर्धारित किया गया है और स्मत्री खजानी के अधिकारों के संदर्भ में 5 फरवरी, 1975 को राम किशन के पक्ष में रूप चंद द्वारा हासिल की गए निर्णय और डिक्री को शून्य और अमान्य ठहराया जाता है। कोई लागत नहीं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा